

एम्प्लॉय स्टेट ऑफ इन्डो ऑफिस  
 शाखा - हल्द्वर

फारम

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है

डॉ. सी. शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सेवा प्रबंधक हल्द्वर

3. वर्तमान वेतन

6725 + पी. ए. + HRA

आगामी वेतनवृद्धि का तात्कालिक

अगस्त २०१०

| 1. जमीन, उप-संभाग, तालुका, जिला नाम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है | 2. सम्पत्ति का रूप तथा स्थिति |         | 3. वर्तमान मूल्य | 4. यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी है क्या संबंध है | 5. उसे किस प्रकार अधिस्त किया गया * * * खरीद, बट्टा, दण्डक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जेंट की तारीख और जिससे अधिस्त की गई हो उसका नाम तथा पता | 6. सम्पत्ति की वर्गीकृत अवस्था | 7. अभियुक्ति |
|--|-------------------------------|---------|------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
|  | 8. गृह तथा अन्य भवन           | 9. भूमि |                  |   |  |                                |              |
|  | (2)                           | (3)     | (4)              | (5)   | (6)  | (7)                            | (8)          |
| तवीचर कला (नगर पंचायत)   | मकान 40' x 80'                | —       | 2,50,000/-       | स्वयं के नाम  | पैलिक सम्पत्ति पिताजी के स्वयंसेवा के बाद परिवर्तन से  | निल                            | ML           |
| तहसील - निवाडी   | उपग्राम 3200 वर्ग फुट एलाउ    | —       | 50,000/-         | स्वयं के नाम  | वचन ले कर 24-8-95 को   | निल                            | ML           |
| जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)  | 22' x 46' 1012 वर्ग फुट       | —       | 4,00,000/-       | स्वयं के नाम  | पैलिक सम्पत्ति पिताजी के स्वयंसेवा के बाद परिवर्तन से वर्ष 2009 में  |                                | ML           |
|  |                               | 90000/- |                  |   |  |                                |              |

1. इस फारम में जो कुछ लिखा है, उसे सही-सही निवेदन करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 2. इसमें अल्पकालीन बट्टे भी शामिल हैं।  
 3. अचल सम्पत्ति अधिनियम (अचल) नियम, 1999 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साल अपने वर्गीकरण के अनुसार पद को पुराना-पुराना कर कर अपडेट करें और अपने वर्तमान वर्गीकरण का तथा उसके द्वारा अधिस्त अवस्था वाले विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर धारित अचल सम्पत्ति का नाम पर बट्टे या दण्डक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति का विवरण दे सकें।

हस्ताक्षर  
 डॉ. सी. शर्मा  
 सेवा प्रबंधक